

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013, भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुंच प्रदान करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून है। इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की गारंटी देकर भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को संबोधित करना है।

कानूनी ढांचा:

एनएफएसए विभिन्न खाद्य सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें पात्र लाभार्थियों की पहचान, खाद्यान्न का आवंटन और वितरण तंत्र शामिल हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों को लक्षित आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का आदेश देता है।

प्रमुख प्रावधान:

अधिनियम के तहत अधिकार:

एनएफएसए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) श्रेणियों के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों और लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के कानूनी अधिकारों की गारंटी देता है। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।

प्रति माह, जबकि एएवाई परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।

लाभार्थियों की पहचान:

एनएफएसए प्राथमिकता वाले परिवारों, एएवाई परिवारों और अन्य कमजोर समूहों सहित पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है। राज्य सरकारें सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और घरेलू विशेषताओं के आधार पर पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वितरण तंत्र:

एनएफएसए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरित करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) या राशन की दुकानों की स्थापना को अनिवार्य करता है।

इसके लिए राज्य सरकारों को पारदर्शी और कुशल वितरण प्रणाली बनाए रखने, खाद्यान्न की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और वितरण प्रक्रिया में रिसाव और विचलन को रोकने की आवश्यकता है।

पोषण संबंधी सहायता:

सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा, एनएफएसए गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह साल से कम उम्र के बच्चों सहित कमजोर समूहों को पोषण संबंधी सहायता के प्रावधान पर जोर देता है। यह कुपोषण को दूर करने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए पूरक पोषण कार्यक्रमों, मातृत्व लाभ और बाल आहार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाता है।

निगरानी और शिकायत निवारण:

एनएफएसए खाद्य सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी और खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र स्थापित करता है। इसकी देखरेख के लिए राज्य सरकारों को राज्य खाद्य आयोग और जिला शिकायत निवारण अधिकारी स्थापित करने की आवश्यकता है

टीपीडीएस की कार्यप्रणाली और लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान।

प्रभाव:

एनएफएसए ने लाखों कमजोर परिवारों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करके भारत में भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को कम करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने भोजन की उपलब्धता में सुधार करने, कीमतों को स्थिर करने और पोषण संबंधी परिणामों को बढ़ाने में मदद की है, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और वंचित समूहों के बीच।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

इसके लाभों के बावजूद, एनएफएसए को पात्र लाभार्थियों की पहचान, वितरण प्रणाली में रिसाव और कमजोर आबादी के अपर्याप्त कवरेज से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। खाद्यान्न की गुणवत्ता, वितरण में देरी और खाद्य सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों को लेकर चिंताएं रही हैं।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच की गारंटी देकर भारत के सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि एनएफएसए ने भूख और कुपोषण को संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसके कार्यान्वयन को मजबूत करने, लक्ष्यीकरण तंत्र में सुधार करने और कमजोर आबादी को प्रदान की जाने वाली पोषण संबंधी सहायता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।